बालक के साथ दुष्कृत्य व हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

बरा गांव में अप्राकृतिक दुष्कृत्य कर शव झाड़ियों में छिपाया था

ग्वालियर। नईदुनिया प्रतिनिधि

विशेष सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने 10 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कृत्य कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी योगेश नाथ उर्फ जोगेश नाथ को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कृत्य के लिए बच्चे का अपहरण किया था और उसकी हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में छिपा दिया था। अप्राकृतिक दुष्कृत्य व उसके बाद हत्या के मामले में यह पहली फांसी है। इससे पहले बच्चियों से दुष्कर्म व हत्या के मामले में जिले में तीन फांसी की सजाएं हो चुकी हैं।

आरोपी योगेशनाथ।

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि मृतक बालक अपने परिजनों के साथ 28 अप्रैल 2017 को बरा गांव में अपने परिजनों के साथ शादी में आया था। उसी दिन बालक गायब हो गया। जब वह देर रात नहीं लौटा तो उसकी तलाश की, लेकिन नहीं मिला। इसकी सूचना बहोड़ापुर थाने में दी। 29 अप्रैल 2017 को झाड़ियों में उसका शव मिला। उसके सिर पर चोट थी। पुलिस ने मौका मुआयना करके शव का पोस्टमार्टम कराया। जांच में सामने आया कि बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कृत्य हुआ है और अपराध को छिपाने के लिए उसकी हत्या की गई है। बच्चे के संबंध में पड़ताल की तो सामने आया कि योगेश टॉफी व नाश्ता कराने के बहाने बच्चे को अपने साथ ले गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हत्या, अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी ने गंभीर कृत्य किया है। एक बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद हत्या की है। अगर आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इसलिए आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, जिससे मासूमों के साथ अपराध करने वालों में कानून का खौफ पैदा हो। आरोपी ने कम से कम सजा की मांग की थी। कोर्ट ने आरोपी को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। सजा को कन्फर्म करने के लिए रिकॉर्ड हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया है।

दूसरे की शर्ट लेकर गया था शादी में

- जिस शादी में बालक आया था, उस शादी में आरोपी योगेश नाथ भी गया था। उसने प्रीतम प्रजापति से शादी में जाने के लिए शर्ट मांगी थी, लेकिन प्रीतम ने उसे शर्ट देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद भी वह उसकी शर्ट पहन गया।
- जब वह बालक की हत्या करके रात में घर लौटा था, रात में ही खून से सनी शर्ट को धो रहा था, जिसे उसकी भाभी ने देख लिया था। पुलिस ने शर्ट भी जब्त की थी। प्रीतम प्रजापति को गवाह बनाया था।
- उसने कोर्ट को बताया कि शर्ट मेरी थी, लेकिन कैसे पहन गया, वह मुझे नहीं पता।

इन धाराओं में सुनाई है सजा

- धारा 302 – फांसी
- धारा-363 में 7 वर्ष
- पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष

बालक से कुकृत्य कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले को फांसी

बलात्कार के मामले एक अन्य आरोपी को भी हो चुकी है फांसी

ग्वालियर @ पत्रिका. दस साल के बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के बाद उसकी नृशंसतापूर्वक हत्या करने के मामले में आरोपी योगेश उर्फ जोगेश नाथ को विशेष न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अर्चना सिंह ने सजा सुनाते हुए कहा आरोपी के कृत्य को देखते हुए उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसी न्यायालय ने 27 जुलाई 18 को नाबालिग से बलात्कार करने वाले जितेन्द्र सिंह कुशवाह को फांसी की सजा सुनाई थी।

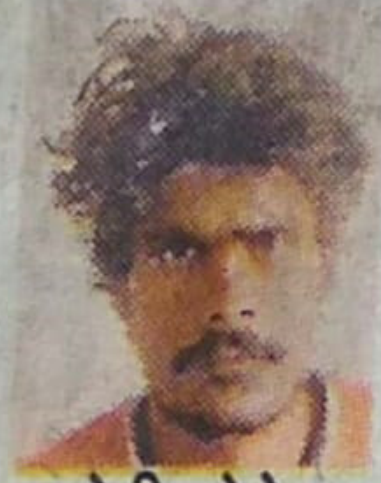

आरोपी योगेश

न्यायाधीश अर्चना सिंह ने आरोपी योगेश उर्फ जोगेश को भादसं की धारा 302 के अपराध में यह सजा सुनाई है। आरोपी को पास्को एक्ट के अपराध में दस साल, 363 के अपराध में सात साल तथा धारा 201 में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। योगेश ने बालक के साथ 28 अप्रेल 17 को कुकृत्य कर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी ने लाश को छिपाने के लिए उसे झाड़ियों के बीच बने गड्ढे में फेंक दिया था। -पेज 3 भी देखें

देख लिया था लेकिन दो दिन पहले ही उसने लव मैरिज कर ली थी। शेष|पेज 11 पर

ग्वालियर जिले का पहला मामला

10 साल के बालक से दुष्कृत्य कर हत्या करने के आरोपी को मृत्युदंड

- आरोपी की भाभी की गवाही रही अहम, खून से सनी शर्ट धोते हुए देखा था

सिटी रिपोर्टर|ग्वालियर

मामा की शादी में गए 10 वर्षीय बालक के साथ दुष्कृत्य करने के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या करने के आरोपी योगेश उर्फ जोगेशनाथ को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। घटना 28 अप्रैल 2017 को बहोड़ापुर पुलिस थाना क्षेत्र के बरा गांव में हुई थी। घटना का खुलासा अगले दिन हुआ जब एक महिला शौच के लिए पास ही में बने खंडहर के पास से गुजर रही थी। वहां उसने खून से सनी लाश पड़ी देखी। इसके बाद पुलिस को खबर हुई। एडिशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने बताया कि मामले की ट्रायल डेढ़ साल में पूरी हुई। डीपीओ नसीम अहमद ने बताया कि ग्वालियर जिले का यह पहला प्रकरण है जिसमें दुष्कृत्य व हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। शेष|पेज 11 पर

आरोपी योगेश

किस धारा में कितनी सजा

भादवि धारा 363: सात साल का कारावास, दो हजार जुर्माना
भादवि धारा 302: मृत्युदंड
भादवि धारा 201: सात साल का कारावास, दो हजार जुर्माना
3/4 पॉस्को एक्ट: 10 साल का कारावास, दो हजार जुर्माना

POCO
SHOT ON POCO F1

ग्वालियर जिले का पहला मामला

10 साल के बालक से दुष्कृत्य कर हत्या करने के आरोपी को मृत्युदंड

- आरोपी की भाभी की गवाही रही अहम, खून से सनी शर्ट धोते हुए देखा था

सिटी रिपोर्टर | ग्वालियर

मामा की शादी में गए 10 वर्षीय बालक के साथ दुष्कृत्य करने के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या करने के आरोपी योगेश उर्फ जोगेशनाथ को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। घटना 28 अप्रैल 2017 को बहोड़ापुर पुलिस थाना क्षेत्र के बरा गांव में हुई थी। घटना का खुलासा अगले दिन हुआ जब एक महिला शौच के लिए पास ही में बने खंडहर के पास से गुजर रही थी। वहां उसने खून से सनी लाश पड़ी देखी। इसके बाद पुलिस को खबर हुई। एडिशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने बताया कि मामले की ट्रायल डेढ़ साल में पूरी हुई। डीपीओ नसीम अहमद ने बताया कि ग्वालियर जिले का यह पहला प्रकरण है जिसमें दुष्कृत्य व हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

शेष | पेज 11 पर

आरोपी योगेश

किस धारा में कितनी सजा

भादंवि धारा 363: सात साल का कारावास , दो हजार जुर्माना
भादंवि धारा 302: मृत्युदंड
भादंवि धारा 201: सात साल का कारावास, दो हजार जुर्माना
3/4 पॉस्को एक्ट: 10 साल का कारावास, दो हजार जुर्माना